सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 17/2016

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री दिनेश कुमार राठौर उम्र 25 वर्ष पुत्र श्री द्वारकालाल (मौके पर मोजूद विक्रेता), निवासी राजीव नगर तेल फेक्ट्री, बारां। मैसर्स श्री राधे दूध डेयरी राजीव नगर, तेल फेक्ट्री, बारां
2. मैसर्स श्री राधे दूध डेयरी राजीव नगर, तेल फेक्ट्री, बारां

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री मदनमोहन नागर एडवोकेट (अप्रार्थीगण की ओर से)

निर्णय दिनांक 21.02.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.08.2015 को समय 04:15 पी.एम. पर मैसर्स श्री राधे दूध डेयरी राजीव नगर, तेल फेक्ट्री, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री दिनेश कुमार राठौर पुत्र श्री द्वारकालाल विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे को परिचय दिया ओर उससे पूछने पर उसके द्वारा स्वंय को दुकान का विक्रेता होना बताया, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध लगभग 20 लीटर स्टील की टंकी में रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 लीटर मिश्रित दूध वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 80/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए 2 लीटर मिश्रित दूध को अलग अलग चार नमूना भाग में चार साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में डालकर बतौर प्रिजरवेटिव 40–40 बूंद फोरमेलीन डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना की शीशियों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2015/361 दिनांक 15.10.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2148/एक्ट/2015/1403 दिनांक 09.10.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, मिश्रित दूध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया गया कि आवेदक द्वारा खरीद किया गया दूध अच्छी क्वालिटी का था। अप्रार्थी द्वारा उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी को परेशान करने की वजह से नोटिस दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस मिश्रित दूध का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है छोटी सी दुकान लगाकर अपने परिवार की आजीविका अर्जित करते हैं। अप्रार्थीगण दूधियों से दूध खरीदकर अपनी दुकान से बेचता है उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता। जैसा खाद्य पदार्थ वह खरीदता है वैसा ही बेचता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, मिश्रित दूध जॉच मे अवमानक (Sub Standard) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिनका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थीगण को कुल 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)